भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2184

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण

2184 अशोक बाजपेयी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कणतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए संस्वीकृत और जारी की गई धनराशि का वर्ष वार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उपर्युक्त डिजिटलीकृत अभिलेख उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर अनलाइन उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या ऐसे डिजिटलीकृत अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता के अभाव में, डिजिटलीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है ; और

(घ) डिजिटल अभिलेखों की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा की गई पहल, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : अभिलेखों का डिजिटलीकरण न्यायिक व्यवस्था के आईसीटी विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजिटलीकरण को ई-न्यायालय चरण ॥ का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव किया गया था और इसके लिए 752.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे। तथापि, 14वें वित्त आयोग में कर- न्यागमन में 10% की वृद्धि हुई, जिससे राज्य का हिस्सा 42% हो गया और इसके कारण, प्रस्तावित व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) के स्तर पर इस गतिविधि के लिए 752.50 करोड़ रुपये आबंटित नहीं किए गए थे और यह गतिविधि वर्धित न्यागमन के बदले राज्य सरकारों द्वारा की जानी थी।

तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विशेष मामले के रूप में, असम के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय (प्रधान न्यायपीठ) को 13.67 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। ई-न्यायालय परियोजना चरण ॥ के अधीन (6.82 करोड़ रुपये) उच्च न्यायालय के लिए और जिला न्यायालयों के लिए 6.85 करोड़ रुपये) चूंकि, ई-न्यायालय परियोजना में केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालय सम्मिलित हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय ई-न्यायालय परियोजना चरण ॥ का हिस्सा नहीं है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी), देश के उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से डिजिटलीकृत मामला रिकॉर्ड के परिणामस्वरूप, मामलों के आंकड़ों का एक ऑनलाइन निक्षेपागार है। यह देश के कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। लगभग 3000 न्यायालय परिसर, वास्तविक समय के आधार पर फाइलिंग, रजिस्ट्रीकरण, जांच, आपत्तियां, मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय और आदेशों के लाइव डेटा को दोहराते हैं। वर्तमान में वादी, 20.86 करोड़ से अधिक मामलों के संबंध में मामले की स्थिति और तारीख 04.07.2022 तक, इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 18.02 करोड़ से अधिक आदेशों/ निर्णयों की एनजेडीजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । मामला आकड़ा, एनजेडीजी पर सिविल और आपराधिक दोनों, मामलों के लिए मामले की अवधि के साथ-साथ राज्य और जिले के आधार पर ड्रिल-डाउन विश्लेषण करने की क्षमता के साथ उपलब्ध है। एनजेडीजी लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और उनमें कटौती करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। यह मामलों के निपटान में विलंब को कम करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने के लिए समय पर इनपुट प्रदान करने में सहायता करता है और लंबित मामलों को कम करने में सहायता करता है। भूमि विवादों से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए 26 राज्यों के भू-अभिलेख डेटा को एनजेडीजी से जोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) के अनुरूप, केंद्र और राज्य सरकार को विभागीय आईडी और एक्सेस-की, का उपयोग करके एनजेडीजी डेटा तक सुगम पहुंच अनुज्ञात करने के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान किया गया है। हाल ही में, विलंब के कारणों को एनजेडीजी में सम्मिलित किया गया है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्णय रिकॉर्ड को निम्नलिखित मापदंडों के साथ ऑनलाइन खोजा जा सकता है – मामला संख्या, डायरी संख्या, निर्णय तारीख, न्यायाधीश का नाम, पक्षकार, अधिनियम-वार, संवैधानिक पीठ और फ्री टेक्स्ट।

(घ) : डिजिटल रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए न्याय विभाग ने ई-कोर्ट परियोजना चरण ॥ के भाग रूप में निम्नलिखित पहल की है:

• 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को अब तक ई- न्यायालय चरण-॥ के अधीन कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

• केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) जो ई- न्यायालय का आधार बनता है फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है ।

• एनजेडीजी ने 20.86 करोड़ मामलों और 18.02 करोड़ से अधिक आदेशों और निर्णयों तक पहुंच अनुज्ञात करते हुए नमनीय खोज तकनीक को विकसित किया है । विलंब के कारण जोड़े गए और ओपन एपीआई पुर:स्थापित किया गया।

• नागरिक केंद्रित सेवाएं 7 प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जैसे एसएमएस पुश एंड पुल, ई-मेल, ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, न्यायिक सेवा केंद्र, सूचना कियोस्क, ई-न्यायालय मोबाइल ऐप (30 अप्रैल 2022 तक कुल 79.65 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (4 जुलाई 2022 तक 17,369 डाउनलोड)।

• ई-फाइलिंग सिस्टम संस्करण 3.0 ई-वकालतनामा, ई-हस्ताक्षर, शपथ की वीडियो रिकॉर्डिंग, ई-भुगतान मॉड्यूल के साथ एकीकृत, आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ आरंभ किया गया। ।

• निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए निर्णय खोज पोर्टल आरंभ किया गया है।

****